

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आपात बैठक दिनांक 13.02.2020 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आपात बैठक दिनांक 13.02.2020 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो० अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० ए.के. सक्सेना	सदस्य
3.	प्रो० मनीषा दुबे	सदस्य
4.	प्रो० जी.के. पात्रा	सदस्य
5.	प्रो० मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6.	प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
7.	प्रो० एल.व्ही.के.एस. भास्कर	सदस्य
8.	प्रो० बी.एन. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो० व्ही.एस. राठौर	सदस्य
10.	प्रो० डी.एन. सिंह	सदस्य
11.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
12.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
13.	प्रो० एल.पी. पटैरिया	सदस्य
14.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
15.	प्रो० टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
16.	प्रो० शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

उक्त बैठक में विश्वविद्यालय के निम्नलिखित आचार्यगण, अधिकारीगण, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारीगण एवं अन्य प्रभारीगण विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित थे, बैठक में प्रो० व्ही.डी.रंगारी, विद्यापरिषद् के स्थायी सदस्य उपस्थित नहीं रहे।

01. प्रो० हरीश कुमार
02. प्रो० एस.एन. साहा
03. प्रो० अशोक कुमार मिश्रा
04. प्रो० तनमय कुमार घोरई
05. प्रो० अनुपमा सक्सेना
06. प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा
07. डॉ० जय सिंह
08. डॉ० एम.एन. त्रिपाठी
09. डॉ० अमितेष झा
10. डॉ० राजभानू पटेल
11. श्री राकेश कुमार पाण्डेय
12. श्री एच.एन. चौबे
13. डॉ० सम्पूर्णानंद झा
14. श्री सूरज कुमार मेहर
15. डॉ० अरुण कुमार शर्मा
16. श्री टी.पी. सिंह

17. डॉ० अभिदीप तिवारी
18. श्री सुधाकर लोनारे
19. श्री श्रीकांत करडेकर
20. श्री सत्येश भट्ट
21. श्री अखिलेश तिवारी
22. श्री लक्ष्मीकांत जायसवाल

विषय क्र. 01 विश्वविद्यालय के अष्टम दीक्षांत समारोह के आयोजन विषयक।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति एवं विशेष आमंत्रित सदस्यगण को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अष्टम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाना है। विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय को अनौपचारिक रूप से दीक्षांत समारोह के संभावित तिथि दिनांक 28 फरवरी, 2020 को आयोजित किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

सम्पूर्ण सदन (विद्यापरिषद की स्थायी समिति के सदस्यगण एवं विशेष आमंत्रित सदस्यगण) ने उक्त सूचना से अवगत होने के पश्चात् इस गरिमामयी आयोजन के लिए विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। अल्प समय में भावी दीक्षांत समारोह को भव्य समारोह के रूप में आयोजित किये जाने का सर्वसम्मती से निर्णय लिया गया। चूंकि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय मुख्य अतिथि होंगे, फलस्वरूप कुलाध्यक्ष महोदय की गरिमा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम समय में दीक्षांत समारोह से संबंधित समस्त कार्यों को सम्पन्न कराने होंगे। बैठक में चर्चा के दौरान मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

01. दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु स्थल निरीक्षण के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 12.02.2020 को विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न स्थलों के निरीक्षण पश्चात् विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के बगल में स्थित खाली मैदान को दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु उपयुक्त पाया गया है। दीक्षांत समारोह की गरिमा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समारोह के स्थल को विशेष पंडाल के रूप में तैयार किये जाने एवं स्टेज को पीछे विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसे सम्पूर्ण सदन (विद्यापरिषद की स्थायी समिति के सदस्यगण एवं विशेष आमंत्रित सदस्यगण) ने अपनी सहमति प्रदान की।
02. बैठक में उपस्थित विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यांत्रिकी तथा विश्वविद्यालय यंत्री-प्रभारी से प्रचलित नियमों को ध्यान में रखते हुए समारोह स्थल पर विशेष पंडाल बनाने एवं उक्त कार्य को सम्पन्न कराये जाने हेतु सुझाव मांगे गये। उपस्थित दोनों अधिकारियों ने सम्पूर्ण सदन (विद्यापरिषद की स्थायी समिति के सदस्यगण एवं विशेष आमंत्रित सदस्यगण) को अवगत कराया कि समारोह के स्थल पर विशेष पंडाल बनाने के लिए कम से कम 10 दिनों के समय की आवश्यकता होगी। टेंडर प्रक्रिया के माध्यम को इतने न्यून समय में करना असंभव है तथा दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति संभावित है, अतः सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) 2017, के नियम 204 के प्रावधान अनुसार (आपातकालीन उपबंधों के अंतर्गत) उक्त

टेंट संबंधी कार्य कराये जा सकते हैं। कार्य हेतु लगभग 95 लाख रुपये व्यय होने की संभावना है। जिसे सम्पूर्ण सदन (विद्यापरिषद की स्थायी समिति के सदस्यगण एवं विशेष आमंत्रित सदस्यगण) ने अपनी सहमति प्रदान की।

03. दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के विश्राम हेतु स्थल निरीक्षण के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 12.02.2020 को विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न स्थलों के निरीक्षण पश्चात् विश्वविद्यालय परिसर स्थित अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाऊस को उपयुक्त पाया गया। साथ ही सुरक्षा एवं गरिमा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाऊस के भूतल एवं प्रथम तल के पांच सुइट एवं पांच कमरों तथा भोजन कक्ष व अन्य कमरों में आवश्यक रूप से विभिन्न सुधार कार्य कराये जाने होंगे साथ ही साथ सभी कमरों को आवश्यक उपकरण/सामग्री के साथ सुसज्जित करना होगा। अतः क्रय तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जी.एफ.आर. के प्रावधानों के अनुसार किया जाना होगा। जिसे सम्पूर्ण सदन (विद्यापरिषद की स्थायी समिति के सदस्यगण एवं विशेष आमंत्रित सदस्यगण) ने अपनी सहमति प्रदान की।
04. दिनांक 12.02.2020 को संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगमन हेतु पं० सुन्दरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के परिसर स्थित 03 हेलीपेडों का चयन किया गया। उक्त हेलीपेडों स्थल से गांव बिरकोना स्थित विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार से समारोह स्थल तक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगमन हेतु मार्ग निश्चित किया गया। इस मार्ग में आवश्यकतानुसार सुधार कार्य, रंग रोगन संबंधी कार्य, सिविल एवं इलेक्ट्रीकल कार्य, इत्यादी कार्य कराया जाना है। तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत इस हेतु राज्य शासन के पी.डब्ल्यू.डी. विभाग में पंजीकृत एजेंसियों को अधिकृत किया जाकर कार्य सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय के यांत्रिकी विभाग इस संदर्भ में आवश्यक व्यय भार की जानकारी प्राप्त कर/प्रस्तुत कर सक्षम स्वीकृति उपरान्त कार्य सम्पन्न करायेंगे। आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय यांत्रिकी शाखा द्वारा विभागीय स्तर पर भी लघु कार्य जी.एफ.आर. के प्रावधानानुसार सम्पन्न करायेंगे। जिसे सम्पूर्ण सदन (विद्यापरिषद की स्थायी समिति के सदस्यगण एवं विशेष आमंत्रित सदस्यगण) ने अपनी सहमति प्रदान की।
05. चर्चा के दौरान परीक्षा नियंत्रक द्वारा दीक्षांत वेश-भूषा के संबंध में प्रस्ताव रखा गया कि, चूंकि वर्तमान में अतिथियों एवं छात्र/छात्राओं की दीक्षांत वेश-भूषा के रूप में उपयोग होने वाले वेश-भूषा तीन वर्ष पुरानी हो चुकी है, अतः संबंधित छात्र/छात्रायें यदि सहमति प्रदान करते हैं तो, उन्हें दीक्षांत वेशभूषा ले जाने की अनुमति प्रदान की जाय तथा उनके द्वारा इस हेतु जमा की गई राशी रुपये 1500/- अवधन राशि में से रुपये 500/- काट कर शेष राशि उन्हें वापस कर दिया जाय। जिसे सम्पूर्ण सदन (विद्यापरिषद की स्थायी समिति के सदस्यगण एवं विशेष आमंत्रित सदस्यगण) ने अपनी सहमति प्रदान की।
06. चर्चा के दौरान परीक्षा नियंत्रक द्वारा शोधार्थियों को पीएच.डी. की उपाधि प्रदान किये जाने की समयावधि के संबंध में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि, चूंकि दीक्षांत वर्ष 2018-19 का होना है, अतः 31 दिसम्बर, 2019 तक जिन शोधार्थियों को शोध उपाधि योग्य पाये जाने संबंधी अधिसूचना जारी हो चुकी है उन्हें इस दीक्षांत समारोह में शामिल किया जाय। जिसे

सम्पूर्ण सदन (विद्यापरिषद की स्थायी समिति के सदस्यगण एवं विशेष आमंत्रित सदस्यगण) ने अपनी सहमति प्रदान की।

07. विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा दीक्षांत समारोह के आयोजन संबंधी विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा उपरान्त, दीक्षांत समारोह के दौरान विभिन्न मदों पर होने वाले अनुमानित न्यूनतम व्यय को ध्यान में रखते हुए कुल राशि रूपये 1.95 लाख (एक करोड़ पंचानबे लाख रूपये) व्यय करने हेतु बजट आबंटन किये जाने की अनुशंसा की जाती है। जिसपर सम्पूर्ण सदन (विद्यापरिषद की स्थायी समिति के सदस्यगण एवं विशेष आमंत्रित सदस्यगण) ने अपनी सहमति व्यक्त की। साथ ही यह भी निर्णय लिया जाता है कि उक्त राशि के बजट आबंटन के संबंध में वित्त शाखा आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।
08. यह भी निर्णय लिया गया कि दीक्षांत समारोह के आयोजन में विभिन्न मदों पर होने वाले व्ययों का आंकलन विश्वविद्यालय यांत्रिकी/भण्डार/परीक्षा/गोपनीय/संबंधित समितियों द्वारा करते हुए सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। जिसे सम्पूर्ण सदन (विद्यापरिषद की स्थायी समिति के सदस्यगण एवं विशेष आमंत्रित सदस्यगण) ने अपनी सहमति प्रदान की।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।


कुलसचिव (प्रभारी)/सचिव


कुलपति/अध्यक्ष